

Lfpdkl r l f'pdkvkadh l vph&2014
fnl Ecj&2014
f' k{kk foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(शिक्षा)32/2012	अनुकम्पा अधारित नियुक्ति के लिए आयु सीमा श्रान्त करने के संबंध में श्री अजीत नारायण सिंह का परिवाद ।	12.12.2014	उपायुक्त लातेहार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा परिवादी से प्राप्त मुतब्य के अनुसार परिवादी का परिवाद का निराकरण कर दिया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.				
3.				

[kku , oa HkvrRo foHkkx

de l 0	l f'pdk l a[; k	fo" k;	l f'pdkLr dh frfFk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(खनन)01/2013	MACP का बकाया राशि का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री टी.पि. कृष्णकुट्टी, केरला का परिवाद ।	03.12.2014	संबंधित विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विभाग के गणना के अनुसार परिवादी को उनके देय पावना का भुगतान कर दिया । अतः परिवाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

Hkufe l q'kkj , oa jktLo foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"k;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	01/लोक(राजस्व)03/12	श्री चंद्रभूषण सिंह अंचलाधिकारी जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के गलत कार्यकलाप की जांच कराने के संबंध में श्री कमलेश कुमार का परिवाद ।	03.12.2014	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवाद पर कार्रवाई किया जा चुका है । अतः परिवाद पर अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	01/लोक(राजस्व)13/2012	दाखिल खारिज नहीं करने के संबंध में श्री सच्चिदानंद सिंह, हुसैनाबाद, पलामू का परिवाद ।	02.12.2014	निगरानी ब्यूरो से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, लोकसेवको से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा परिवादी से प्राप्त मंतव्य के अनुसार दाखिल खारिज वाद का निष्पादन कर दिया गया है । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
3.				

ou foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"k;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.				
2.				

foùk foHkkx

de l 0	l fipdk l a; k	fo"k;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.				

i Fk fuekZ k foHkkx

dæ l 0	I f'pdk I a[; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.				

m | ksx foHkkx

dæ l 0	I f'pdk I a[; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.				

LokLF; foHkkx foHkkx

dæ l 0	I f'pdk I a[; k	fo"K;	I f'pdkLr dh frfFk	vfire vkns'k
1.	01/लोक(स्वा0)04/13	कुप्रशासन एवं भ्रष्टचार केसंबंध में श्री संजय सिंह गिरिडीह का परिवाद ।	03.12.2014	उपायुक्त गिरिडीह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार परिवाद में लगाये गए आरोप अंशतः सही पाये जाने के कारण आरोपी सिविल सर्जन के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई कर निलंबित कर दिया गया । अतः अन्य कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.				

[kk | vki frZ foHkkx

dæ l 0	I f p d k l a [; k	fo" k;	I f p d k L r d h f r f F k	v f i r e v k n s k
1.				

dkfæd iz kkl fud l qkkj , oa jkt Hkk"kk foHkkx

dæ l 0	I f p d k l a [; k	fo" k;	I f p d k L r d h f r f F k	v f i r e v k n s k
1.				
2.				

i f y l foHkkx

dæ l 0	I f p d k l a [; k	fo" k;	I f p d k L r d h f r f F k	v f i r e v k n s k
1.				
2.				
3.				

x'g foHkkx

dæ l 0	I f p d k l a [; k	fo" k;	I f p d k L r d h f r f F k	v f i r e v k n s k
1.				

d f " k foHkkx

dæ l 0	I f p d k l a [; k	fo" k;	I f p d k L r d h f r f F k	v f i r e v k n s k

1.				
----	--	--	--	--

fl pkbz foHkkx

dæ l 0	l fipdk l a[; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.				

uxj fodkl foHkkx

dæ l 0	l fipdk l a[; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.				

i 'kj kyu , oa eRL; foHkkx

dæ l 0	l fipdk l a[; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.				
2.				

xkfe.k fodkl foHkkx

dæ l 0	l fipdk l a[; k	fo"K;	l fipdkLr dh frffk	vfire vkns'k
1.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)	चाकुलिया प्रखण्ड में पंचायत मंडप निर्माण में	05.12.2014	उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार

)19/14	अनियमितता के संबंध में श्री दिनेश महतो का परिवाद ।		परिवादी का आरोप जाचोंपरान्त सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
2.	02/लोक(ग्रा.वि.वि.)11/2011	उपादान की राशि 2000/- का भुगतान नहीं करने के संबंध में श्री बद्री नारायण सिंह का परिवाद ।	03.12.2014	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी मधुपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी के परिवद का निराकरण हो जाने के पश्चात माननीय लोकायुक्त द्वारा परिवाद को बंद कर दिया गया ।
3.				

I kekt dY; k.k foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.	02/लोक(स.क.)07/13	झारखण्ड राज्य सामाज कल्याण बोर्ड द्वारा निर्गत विज्ञापन सहायक पद की नियुक्ति में अनियमितता के संबंध में श्री संजय भूषण राँची का परिवाद ।	08.12.2014	प्रधान सचिव सामाज कल्याण विभाग झारखण्ड से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार परिवादी का आरोप जाचोंपरान्त सही नहीं पाया गया । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।

fofo/k foHkkx

de l 0	I fpdk l a; k	fo"k;	I fpdkLr dh frffk	vfire vkn's k
1.				

f'kdk; r

क्र. सं.	शिकायत सं.	विवरण	दिनांक	विवरण
1.	शिकायत सं. 538/2014	बृजदेव राम, सेवानिवृत्त निलंबित शिक्षक को नियमविरुद्ध सेवान्त लाभ भुतान कर सरकारी राशि का गबन करने के संबंध में सुनील कुमार दूबे, गढ़वा का शिकायत ।	01.12.2014	शिकायत कर्ता स्वयं एक लोकसेवक है तथा अन्य लोक सेवक के विरुद्ध शिकायत किया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
2.	शिकायत सं. 213/14	तत्कालीन उपायुक्त मनोज कुमार, जिला योजना पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, व कनीय अभियंता द्वारा करोड़ों रुपये का बंदर बांट एवं दुरुपयोग करने के संबंध में श्री पारस नाथ पाण्डेय का शिकायत ।	08.12.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
3.	शिकायत सं.542/14	उपायुक्त गोड्डा के आदेश का उल्लंघन करने तथा मामले को रफा-दफा करने के संबंध में श्री चन्द्रभानु मिश्र भगलपुर का शिकायत ।	15.12.2014	शिकायत वाद से प्रतीत होता है यह पारिवारिक विवाद है तथा दुर्भावना से ग्रसित होकर दायर किया गया है । अतः इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
4.	शिकायत सं. 535/14	15-20 वर्षों से एक ही कार्यालय में पदस्थापित कर्मियों के स्थानान्तरण के संबंध में श्री राजेश कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी बेरमो का शिकायत ।	15.12.2014	शिकायत स्थानान्तरण/पदस्थापन से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
5.	शिकायत सं. 527/14	वित्त विभाग के आदेश के आलोक में बकाया राशि के भुगतान के संबंध में अनुपमा पाण्डेय, राँची का शिकायत ।	15.12.2014	परिवादीनी के परिवाद से स्पष्ट है कि उन्होने उप सचिव झारखण्ड विधान सभा के समक्ष भी इसी प्रकार का वाद दर्ज किया है जिसमें देय पावना के संबंध में समुचित दिशा निर्देश जारी किया गया है। अतः वाद पर समानान्तर कार्रवाई उचित नहीं है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
6.	शिकायत सं. 108/14	श्री अरुण कुमार गुप्ता, अनुमंडल सह जिला कृषि पदाधिकारी , पूर्वी सिंहभूम के विरुद्ध गहन निगरानी जांच कराए जाने के संबंध में श्री महाबीर महतो, सचिव, ग्रामोथान समिति पूर्वी सिंहभूम का शिकायत ।	05.12.2014	पर्याप्त पत्राचार के बाद भी शिकायत पत्र में व्याप्त त्रुटी का निराकरण परिवादी द्वारा नहीं करने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा शिकायत को खारिज कर दिया गया ।
7.	शिकायत सं. 576/14	श्री सुरेश प्रसाद सिंह सेवा निवृत्त पुलिस अवर निरीक्षक का देय पावना लंबित रहने के संबंध में ।	15.12.2014	शिकायत वाद से प्रतीत होता है कि शिकायत कालबाधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत

				पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया।
8.	शिकायत सं. 420/14	परिवादी के पुत्री प्रणीता की हत्या ससुराल वालों द्वारा किये जाने व पुलिस द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं करने के संबंध में श्री जय प्रकाश सिंह, लातेहार का शिकायत ।	03.12.2014	परिवाद पूर्व में ही SDJM कोर्ट चतरा में लंबित है, जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया।
9.	शिकायत सं.519/2014	खतियान Digitalization एवं Computerization में धोखाधड़ी करने के संबंध में श्री विजय कुमार बोकारो का शिकायत ।	01.12.2014	शिकायत निजी क्षेत्र की कम्पनी के विरुद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत नहीं आता है । अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
10.	शिकायत सं.546/2014	श्री रामानुज शर्मा, कार्यालय सहायक (सेवा निवृत्त) व्यवहार न्यायालय चतरा का सेवान्त लाभ अप्राप्त रहने के संबंध में ।	04.12.2014	शिकायत व्यवहार न्यायालय से संबंधित है अतः परिवादी को माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड राँची से अपने वाद के निपटारा के लिए संपर्क करना चाहिए । उक्त के आलोक में परिवाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा बंद कर दिया गया ।
11.	शिकायत सं. 492/14	संकुल साधन सेवी/प्रखण्ड साधन सेवी / विषय विशेषज्ञ आदि के सेवा शर्तों में सुधार/संशोधन के संबंध में श्री अलोक कुमार चौधरी, गोड्डा का शिकायत ।	15.12.2014	शिकायत सरकार के नितिगत फैसले से संबंधित है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के अन्तर्गत नहीं आता है । अतः शिकायत वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज कर दिया गया ।
12.	शिकायत सं. 537/14	अवास भत्ता का भुगतान नहीं होने के संबंध में श्री उदय शंकर कर्ण, लिपिक जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय प. सिंहभूम का शिकायत ।	01.12.2014	यह शिकायत एक लोकसेवक का दुसरे लोकसेवक के विरुद्ध किया गया है जो लोकायुक्त अधिनियम 2001 के तहत पोषणीय नहीं है। अतः वाद को माननीय लोकायुक्त द्वारा खारिज करते हुए बंद कर दिया गया ।
13.	शिकायत सं. 548/14	प्राथमिक शिक्षक के पद पर चयन के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के संबंध में सदाशिव पाठक गोड्डा का शिकायत ।	05.12.2014	शिकायत कालबाधित रहने के कारण माननीय लोकायुक्त द्वारा इसपर अग्रतर कार्रवाई बंद कर दिया गया ।